

Office of the District Basic Education Officer KUSHI NAGAR

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1.	This is to certify that	Indian Ideal School, Bihar Khurd Samur Bazar Kushinagar is peri	manently
rec	cognized for Primary(c	class 1 to 5). The Recognition number alloted to Indian Ideal School is	97. The applicable
ter	ms and conditions of t	the recognition of your school is annexed.	

2. DATE OF ISSUE	25-10-2022(DD/MM/YYYY)	
3. Recognition Type	Old	
4.School Type	Pre-Primary School and Primary School	
5.Recognition No.	97	

DATE: - 25-10-2022

PLACE:- KUSHI NAGAR

District Basic Education Officer

Digitally signed by Kamlendra Kumar Kushwa Date: 2022.10.25 15:53:56 Reason: For Digital Signature Location: KUSHI NAGAR

Note: This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.premaup.in



Office of the District Basic Education Officer KUSHI NAGAR

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

 This is to certify that INDIAN IDEAL SCHOOL, BIHAR KHURD SAMUR BAZAR KUSHINAGAR
is permanently recognized for Upper Primary(class 6 to 8). The Recognition number alloted to INDIAN IDEAL
SCHOOL is 252. The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE	10-11-2022(DD/MM/1111)
3. Recognition Type	Old
4.School Type	Upper Primary School(6 to 8)
5.Recognition No.	252

DATE:- 16-11-2022

PLACE:- KUSHI NAGAR

District Basic Education Officer

Digitally signed by Kamlendra Kumar Kushwa Date: 2022.11.16 11:05:26 Reason: For Digital Signature Location: KUSHI NAGAR

Note: This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.premaup.in

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कुशीनगर।

संख्यांकः मान्यता/ पत्रांकः/शिविर/ 97 /2018

शिविर/ 22

/2017-18

दिनांक: 21 मार्च, 2018

प्रबन्धक, इण्डियन आडियल स्कूल समऊर बाजार तमकुही विकास खण्ड—तमकुही, जनपद—कुशीनगर।

विषय:—नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांकः 27.08.2017 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती /पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, इण्डियन आडियल स्कूल समऊर बाजार तमकुष्ठी, विकास खण्ड—तमकुष्ठी, जनपद—कुशीनगर को दिनांक— 01 जुलाई, 2017 से दिनांक—30 जून, 2020 तक तीन वर्ष की अविध के लिए नर्सरी से कक्षा—5 तक अंग्रेजी माध्यम के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है:-

1— मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विविक्षित नहीं है।

2— विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध—1) और नि:शुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध—2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3— विद्यालय कक्षा—1 में उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस—पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4— पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5— सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुक्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता—पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6— विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा–15 के उपबंधों का पालन करेगा।

विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-

- प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा:
- 💠 किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगाः
- प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तींण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी:
- प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम—25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगाः
- 💠 अधिनियम के उपबंध के अनुसार नि:शक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जानाः
- अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा—23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इन अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताए नहीं है, पांच वर्ष की अविध के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगें:
- 💠 अध्यापक अधिनियम की धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करना है: और
- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेगें:

8 km

7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-
- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल— 0.032 हेक्टेयर
- कुल निर्मित क्षेत्रफल— 400 वर्ग फुट
- 💠 क्रीडा-स्थल का क्षेत्रफल- आख्यानुसार है
- कक्षाओं की संख्या- 07
- प्रधानाध्यापक—सह कार्यालय—सह—भांडारागार के लिए कक्ष— 03
- 💠 बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय- 1+2
- 💠 पेयजल सुविधा- मोटर द्वारा पेय जल की उपलब्धता
- मिड-डे मील पकाने के लिए रसोई-
- बाधारिहत पहुंच— आख्यानुसार है।
- ❖ अध्यापन पठन सामग्री / क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों / पुस्तकालय की उपलब्धता— आख्यानुसार है।
- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
- 10—विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा—स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 11—विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12-स्कूल को किसी ब्यक्ति, ब्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य ब्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13—विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा ' अधिकारी, कुशीनगर को भेजी जानी चाहिए।

14—आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या— 97/2018 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।

- 15—विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यालय की कर्मियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
- 16-सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17-संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय,

(हेमन्त राव)

(हमन्त राव) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ॐ कुशीनगर।

कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कुशीनगर।

संख्यांकः मान्यता / 252 /2016

पत्रांकः / शिविर /

132

/2016-17

दिनांकः 31-05- 2016

प्रबंधक.

इण्डियन आइडियल स्कूल समउर बाजार विकास खण्ड—तमकुही, जनपद—कशीनगर।

विषय:--नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की घारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके दिनांक: 30.08.2015 के आर्येदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती/पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, इण्डियन आइडियल स्कूल समउर बाजार, विकास खण्ड—तमकुही, जनपद—कुशीनगर को दिनांक—01 जुलाई, 2016 से दिनांक—30 जून, 2019 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए हिन्दी माध्यम कक्षा—6 से 8 तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैं:-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2— विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध—1) और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध—2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3— विद्यालय कक्षा—1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस—पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विष्ठीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4— पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5— सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता—पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- 6— विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा—15 के उपबंधों का पालन करेगा।

विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-

- प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कांसित नहीं किया जाएगा:
- किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगाः
- प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तींण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी:
- प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम—25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगाः
- 🌣 आधेनियम के उपबंध के अनुसार नि:शक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जानाः
- अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा—23 (1) कें अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इन अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताए नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्युनतम अर्हताएं अर्जित करेगें:
- अध्यापक अधिनियम की घारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करना है: और
- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेगें:

9

__2/

7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित प ठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8- विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविनिदिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल-13952 स्कवावरिफट।
- कुल निर्मित क्षेत्रफल-1515 वर्गफिट।
- क्रीडा-स्थल का क्षेत्रफल-आख्यानुसार है।
- कबाओं की संख्या-3
- प्रधानाध्यापक—सह कार्यालय—सह-भांडारागाः के लिए कक्ष-3
- बालक जार बालिकाओं के तिए पृथक शोधनाय-1-2
- पेयजल सुविधा—सप्लाई व हैण्ड पम्प।
- मिड-डे मील पकाने के लिए रसोई-
- 💠 बाधारहित पहुंच-है।

अध्यापन पठन सामग्री / क्रीड़ा खेलकूद उपल्रणों / पुस्तकालय की उपलब्धता—आख्यानुसार है।

9— विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10—विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा—स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11—विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12-स्कूल को किसी ब्यब्टि, ब्यब्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य ब्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13-विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिल्हा बेसिक शिक्षा अधिकारी, कुशीनगर को भेजी जानी चाहिए।

14-आपके विद्यालय को आवंटित नान्यता कोड संख्या-252/2016 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस

कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।

15—विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करतः है, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यालय की कर्मियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16-सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17-संलग्न उपावंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय,

(लालजी यादव)

जिला गेसिक शिक्षा अधिकारी, कुशीनगर्ग